राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....473/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स एच.टी.सी. पाईप्स एण्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/2018	खण्डपीठ कैम्प जयपुर श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2018, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 3,46,18,711/– में से राशि रूपये 1,83,13,600/– रूपये को स्थगित किया तथा 1,63,05,111/– रूपये की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र "सी" के समर्थन पर खरीद किये गये वाहन ट्रक व डम्पर का उपयोग अपने व्यवसायिक कार्यों के लिए किये जाने से धारा 8 का उल्लघंन नहीं हुआ है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने शेष राशि रूपये 1,63,05,111/– को स्थगित नहीं करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 1,63,05,111/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग स्थगन राशि रूपये लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....473/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स एच.टी.सी. पाईप्स एण्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/2018	– 2 – 3,46,18,711/– में से राशि रूपये 1,83,13,600/– को एक वर्ष अथवा उनके समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित कर दिया, परन्तु शेष राशि रूपये 1,63,05,111/– को स्थगित नहीं किये जाने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। चूंकि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 1,63,05,111/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 30.4.2018 (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य 30/4/18 (मदनलाल मालवीय) सदस्य	